लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2015 को सांय 4.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी हाल में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	**डा0 एस.बी. निमसे**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री विद्यासागर शुक्ल	विशेष सचिव (वित्त)	सदस्य
3.	श्री बी0बी0 सिंह	विशेष सचिव (उच्च शिक्षा)	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	कुलसचिव	सदस्य
5.	श्री एस0के0 शुक्ल	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	प्रो0 अरविन्द कुमार	वित्त अधिकारी	सचिव (सदस्य)

बिन्दु संख्या–01 गत वित्त समिति की बैठक दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 के कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02 ओ0एन0जी0सी0 द्वारा प्रायोजित भवन निर्माण के सम्बन्ध में 27.01.2015 को सम्पन्न हुई बिल्डिंग वर्क्स कमेटी की आपात कालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार–विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा इस अभिमत के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि यदि आवश्यक हो तो ओ0एन0जी0सी0 सेण्टर ऑफ एडवान्स स्टडीज भवन हेतु पूर्व में ओ0एन0जी0सी0 से किये गये अनुबन्ध पत्र को निरस्त करके पुनरीक्षित आगणन पर नया एम0ओ0यू0 दोनो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरबद्ध किया जाए।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कार्यदायी संस्था से इस आशय का वचनबद्धता अवश्य ले लिया जाए कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करके भवन को विश्वविद्यालय को हस्तगत करा दिया जायेगा।

ओ0एन0जी0सी0 द्वारा प्रायोजित भवन निर्माण हेतु एन0बी0सी0सी0 कार्यदायी संस्था द्वारा आहूत निविदा जो वर्ष 2013 के डी0एस0आर0 के आधार पर निर्मित बिल आफ क्वान्टिटी पर वर्ष 2014 में बढ़ी हुई डी0एस0आर0 पर लागत में वृद्धि जो रु0 1.01 करोड़ हो रही है, जिसमें 1 प्रतिशत Labour Cess का प्राविधान पूर्व से ही किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2013 के डी0एस0आर0 बिल आफ क्वान्टिटी पर आगणित सकल लागत रु0 22.85 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2014 के डी0एस0आर0 बिल आफ क्वान्टिटी पर आगणित सकल लागत रु0 23.91 करोड़ (1 प्रतिशत Labour Cess सहित) की वृद्धि हुई, जिसमें वास्तविक लागत वृद्धि रु0 79.00 लाख हो रही है, जिसे एन0बी0सी0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण बताये जाने की दशा में समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। कुल लागत के सापेक्ष विश्वविद्यालय अंशदान के सम्बन्ध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्त समिति के कार्यवृत्त दिनांक 25

जून, 2014 के प्रस्तर सं0–अन्य बिन्दु 01 में निर्धारित की गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भवन निर्माण हेतु सम्पूर्ण व्यय–भार ओ0एन0जी0सी0 द्वारा प्रायोजित धनराशि एवं विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतो से वहन किया जाएगा तथा इस हेतु शासन पर कोई व्यय–भार नहीं डाला जाएगा।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में ऐसे समस्त निर्माण कार्य जो कि पूर्ण हो गये हैं किन्तु टी0ए0सी0 जाँच आदि के अधीन हैं अथवा अपूर्ण हैं एवं टी0ए0सी0 जाँच आदि के अधीन हैं, ऐसे समस्त प्रकरण पर कार्यदायी संस्थाओं के साथ शासन स्तर पर शीघ्र एक बैठक सम्पन्न करायी जाये जिससे कि निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने तथा विश्वविद्यालय को हस्तगत कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

बिन्दु संख्या–03 बिन्दु संख्या 03 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में समस्त शुल्कादि को वर्तमान में कैश कार्यालय के माध्यम से जमा कराये जाने की व्यवस्था को समाप्त करके आनलाइन एवं आफलाइन शुल्क जमा करने तथा कस्टमाइज फीस मैनेजमेण्ट सलूशन की सेवायें लेने हेतु आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक को नोडल बैंक के रूप में अधिकृत किये जाने हेतु समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि आई0सी0आई0सी0आई0 एक प्राइवेट बैंक है, अतः किसी प्राइवेट बैंक को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये बगैर इस प्रकार का कार्य नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि बैंक से जो भी कार्य लिया जाना है उसके लिये बैंक को सेवा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है।

अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत एवं अधिसूचित बैंकों से Expression of Interest आमंत्रित कर लिया जाये तथा जो बैंक अपेक्षाकृत कम दरों पर कुशलतापूर्वक अपनी सेवाएं देने पर तत्पर हो उसे यह कार्य दिया जाये। राष्ट्रीयकृत बैंक को वरीयता दिया जाना उचित होगा।

तदनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये पुनः प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। शुल्क जमा करने हेतु विश्वविद्यालय का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खोला जाना चाहिए।

बिन्दु संख्या–04 शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–665(I)/दस–54(एम) 2008टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 वेतन समिति (2008) के द्वारा ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सन्दर्भगत विषय पर प्रशासकीय विभाग से शासनादेश जारी किये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाए। प्रशासकीय आदेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रशासकीय आदेशानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

बिन्दु संख्या–05 प्राच्य अरबी फारसी छात्र/छात्राओं एवं प्राच्य संस्कृत शिक्षा के छात्र/छात्राओं से प्रवेष व शिक्षण शुल्कादि लिये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.10.2014 के

कार्यवृत्त के प्रस्तर संख्या–09 के क्रम में प्रभारित किये जाने वाले शुल्क प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया।

समिति द्वारा सत्र 2014–15 से निम्नवत् शुल्क व्यवस्था लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया–

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में लिये जाने वाला शुल्क	ट्यूशन फीस छूट के उपरान्त वित्त समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क
1.	दाबिर–ए–माहिर	2,975/–	1,649/–
2.	आलिम	2,975/–	1,649/–
3.	दाबिर–ए–कामिल	3,475/–	2,149/–
4.	फाजिल–ए–अदब	3,475/–	2,149/–
5.	फाजिले–ए–दफसीर (शिया)	3,475/–	2,149/–
6.	फाजिले–ए–दफसीर (सुन्नी)	3,475/–	2,149/–
7.	शास्त्री	2,975/–	1,649/–
8.	आचार्या	3,475/–	2,149/–

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–01 जे0ई0ई0 बी0एड0 2015–17 के प्रवेश परीक्षा एवं काउन्सिलिंग हेतु राज्य समन्वयक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से सकल अनुमानित आय रु0 31,28,75,000/– के सापेक्ष सकल अनुमानित व्यय रु0 23,10,16,550/– के बजट प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(बी0बी0 सिंह)
विशेष सचिव (उच्च शिक्षा)

(विद्यासागर शुक्ल)
विशेष सचिव (वित्त)
उ0प्र0 शासन

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
कुलसचिव

(एस0के0 शुक्ल)
परीक्षा नियंत्रक

(प्रो0 अरविन्द कुमार)
वित्त अधिकारी

(डा0 एस. बी. निमसे)
कुलपति